संख्या-109/807/84-1-14-21बामा/2009टी.सी.-4

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 29 अक्टूबर, 2014

विषय- कार्यमानक प्रयोगशाला/द्वितीय मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-356/निविमावि-लेखा 7(25)भासयो-उन्नाव/13 दिनॉक 24 सितम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यमानक प्रयोगशालाओं के भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश सं0-304/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 28.03;2013, शासनादेश सं0-123/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 27.02.2013 एवं शासनादेश सं0-12/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 16.9.2013 कतिपय कार्यमानक प्रयोगशाला के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में संलग्न तालिका के कालम 5 के अनुसार धनराशि स्वीकृति की गयी है । उक्त शासनादेश में निहित शर्त के अनुसार स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि व्यय होने की स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 10,64,74,000/ के सापेक्ष संलग्न तालिका के कालम 6 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यमानक प्रयोगशालाओं हेतु द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 83,72,200 (रूपये तिरासी लाख बहत्तर हजार दो सौ मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करतें हैं कि प्रश्नगत भवनों का निर्माण दिनांक 31-03-2015 तक पूर्ण कराते हुए कार्यदायी संस्था से विभाग के उपयोगार्थ हस्तगत करा दिया जायेगा।

2- शासनादेश दिनांक 28-3-2013, 27-02-2013, एवं 16-09-2013 की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-01- केन्दीय आयोजनागत /केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0102-द्वितीयमानक प्रयोगशाला/कार्यमानक प्रयोगशाला/कैलिब्रेशन टावर्स का भवन निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-14-231/2014, दिनांक 22-7-2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-109/807(1)/84-1-14-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्लू प्रसाद द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-109/807/84-1-14-21बामा/2009टी.सी.-4 दिनांक 29-10-2014 का संलग्नक

(धनराशि रूपये में)

क्र0 सं0	कार्यमानक प्रयोगशाला का नाम	शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत लागत	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	उन्नाव	सं0-304/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 28.03;2013	18,41,000	7,36,400	11,04,600
2	एटा	सं0-304/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 28.03;2013	14,18,000	5,67,200	8,50,800
3	बिसौली बदायूं	सं0-304/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 28.03;2013	15,13,000	6,05,200	9,07,800
4	बुलन्दशहर	सं0-304/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 28.03;2013	21,45,000	8,58,000	12,87,000
5	फरीदपुर बरेली	सं0-304/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 28.03;2013	15,13,000	6,05,200	9,07,800
6	दातागंज बदायूं	सं0-304/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 28.03;2013	18,41,000 के स्थान पर 18,24,000	7,36,400	10,87,600
7	कन्नौज	सं0-123/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 27.02;2013	20,96,000	8,38,400	12,57,600
8	आगरा	सं0-12/872/84-1-13-21बामा/09टी.सी.-3 दिनांक 16.09;2013	19,38,000	9,69,000	9,69,000
		योग-'			83,72,200

(रूपये तिरासी लाख बहत्तर हजार दो सौ मात्र)

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in